तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/सीलिंग/195/2000/गंगानगर** **सरकार बनाम नंदसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, राजकीय अधिवक्ता।
अधिवक्ता अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

——

निर्णय

दिनांकः—22.03.2024

यह अपील धारा 23 (2) ए राज0कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में नए सीलिंग कानून) के अंतर्गत अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन), गंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 01/95 में पारित निर्णय दिनांक 30—11—1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अप्रार्थी नंदसिंह के सीलिंग प्रकरण संख्या 72/71(पुराना कानून) में दिनांक 13.01.72 को आदेश पारित कर अप्रार्थी के पास 35 बीघा भूमि व अप्रार्थी के पुत्रों के पास 75 बीघा भूमि मानते हुए तथा पुत्रों को बालिग मानकर घोषणाकर्ता पर आश्रित नहीं बताकर, सीलिंग सीमा से कम भूमि मानकर कार्यवाही समाप्त कर दी। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, गंगानगर की अभिशंषा पर शासन द्वारा आदेश दिनांक 26.10.79 को प्रकरण रिओपन कर निर्णय हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया गया, जो क्रम संख्या 236/79 पर दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 14.08.84 के अनुसार घोषणाकर्ता के पास 110 बीघा 10 बिस्वा भूमि मानते हुए अधिकतम 92.15 बीघा भूमि धारण करने का अधिकारी मानकर 17.14 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानकर अधिग्रहण के आदेश पारित किए गए। अप्रार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 14.08.84 के विरूद्ध माननीय मण्डल न्यायालय में अपील दायर की गई, जिसके निर्णय दिनांक 14.08.87 के द्वारा अति0 कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 14.08.84 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि माननीय राज0 उच्च न्यायालय में अप्रार्थी ने राज्य सरकार के रिओपन आदेश दिनांक 26.10.1979

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/सीलिंग/195/2000/गंगानगर** **सरकार बनाम नंदसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को निरस्त कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.11.81 की पालना में शासन द्वारा अप्रार्थी को नोटिस जारी कर पत्रावली संख्या 1(1587) राज/सी/ग्रुप–8/78 से सीलिंग प्रकरण संख्या 72/71(पुराना कानून) में आदेश दिनांक 05.12.94 पारित कर धारा 15(2) के अंतर्गत प्रकरण रिओपन कर कुल भूमि जो 58.07 बीघा होती है, के संबंध में एवं उसके पुत्र प्रीतमसिंह के नाम से निर्धारित तिथि को 25 बीघा भूमि अलग से होने के संबंध में जांच कर एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देकर कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत निर्णय पारित करने हेतु भेजा गया। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर भूमिधारी को तलब किया गया तथा दौराने वाद अप्रार्थी के पास सीलिंग से अधिक भूमि नहीं मानकर कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिनांक 30.10.1999 को पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की है ।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई । प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अति0 कलक्टर ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अप्रार्थी द्वारा जो घोषणा पत्र पेश किया था, उसमें उसने अपने पुत्रों को जो कि निर्धारित तिथि को नाबालिग थे, को अपने पर आश्रित बताया था। इस कारण पुराना सीलिंग कानून की धारा 30 (बी) में दी गई परिवार की परिभाषा के अनुसार अप्रार्थी नाबालिग पुत्रों के द्वारा धारित भूमि पिता की भूमि के साथ गणना की जानी योग्य थी किन्तु उन्होंने उसे नहीं जोड़कर एवं पुत्र को अलग निकालकर आदेश प्रदान किया, जो निरस्तनीय है। अति0 कलक्टर, श्रीगंगानगर ने राज्य सरकार द्वारा दिए आदेश दिनांक 05.12.94 के अनुसार कार्यवाही नहीं कर आदेश प्रदान करने में त्रुटि कारित की है। अप्रार्थी के पास 33.07 बीघा भूमि थी तथा अप्रार्थी के तीन पुत्रों द्वारा अलग अलग 25 बीघा भूमि खरीद की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी के पास निर्धारित तिथि को कुल 58.07 बीघा भूमि थी, अप्रार्थी 46.08 बीघा भूमि धारण करने का अधिकारी है, शेष 12 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक घोषित की जानी चाहिए। अधि0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अप्रार्थी द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/सीलिंग/195/2000/गंगानगर** **सरकार बनाम नंदसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उनके समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की थी जिससे यह साबित होता हो कि उसका पुत्र पिता पर आश्रित नहीं था। इस कारण बिना किसी साक्ष्य के ही नाबालिग पुत्र को पिता पर आश्रित होना नहीं मानकर जो आदेश प्रदान किया है। वह निरस्तनीय योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 30.10.1999 को निरस्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.10. 1999 की जानकारी जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को होने पर उन्होंने उसका विधिक परीक्षण कराये जाने के पश्चात् अपने पत्रांक 6232 दिनांक 8.12.1999 के द्वारा तहसीलदार, विजयनगर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिए । यह पत्र तहसीलदार को दिनांक 10.12.1999 को प्राप्त हुआ तत्पश्चात् दिनांक 16.12.1999 के द्वारा निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया, तथा नकलें दिनांक 7.1.2000 को प्राप्त हुई । तत्पश्चात् जिला कलेक्टर से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति एवं अजमेर जाकर अपील दायर करने हेतु अनुमति चाही गई । इसके उपरांत दिनांक 15.1.2000 को अजमेर आकर राजकीय अभिभाषक से संपर्क किया तो राज्य कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण अपील हेतु हड़ताल के बाद का समय दिया गया ।

हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के संबंध में जो कथन अंकित किये है उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने असेसी नंदसिंह के पास निर्धारित तिथि दिनांक 01.04.1966 को 34.14 बीघा भूमि तथा पत्नि के नाम 12 बीघा भूमि कुल 46.14 बीघा भूमि होना मानकर तथा नाबालिग पुत्र को पिता पर आश्रित नहीं होना मानकर, उनको धारित भूमि को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/सीलिंग/195/2000/गंगानगर** **सरकार बनाम नंदसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

छोड़कर असेसी के पास सीलिंग से अधिक भूमि होना नहीं मानकर सीलिंग कार्यवाही समाप्त करने के आदेश दिनांक 30.10.1999 को प्रदान किए है ।

प्रस्तुत प्रकरण में असेसी ने जो घोषणा पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया है उसमें उसने अपने पुत्र को जो कि निर्धारित तिथि दिनांक 01.04.1966 को नाबालिग था, को अपने ऊपर आश्रित होना बताया है । पुराने सीलिंग कानून की धारा 13–बी में दी गई परिवार की परिभाषा के अनुसार अप्रार्थी के नाबालिग पुत्रों के द्वारा धारित भूमि पिता की भूमि के साथ जोड़ी जानी चाहिये थी । प्रस्तुत प्रकरण में असेसी नंदसिंह का पुत्र निर्धारित दिनांक 01.04.1966 को नाबालिग था तो अधीनस्थ न्यायालय को इस संदर्भ में उचित जांच पड़ताल करनी चाहिये थ्झी कि वह अलग से आराजी क्रय करने में कैसे सक्षम था, जो उनके द्वारा नहीं की गई है । नाबालिग पुत्र आराजी क्रय करने में सक्षम नहीं था और वह अपने पिता पर पूर्ण रूप से आश्रित होने से उसके द्वारा धारित 25 बीघा भूमि असेसी के साथ गणना किये जाने योग्य थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) गंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.1999 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशा0) श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे नाबालिग पुत्र के धारण में रही भूमि बाबत् पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे ।

तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य